न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः मनोज कुमार मीणा आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 262/15 (GCMS:. 2015/00225) दायर दिनांक :– 05–10–2015

जगदीश पुत्र श्री तुलछीदास जाति स्वामी साकिन पीपासर तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0 ––––– वादी

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

––––– प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 207, 209 राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित :–

1– राजवीर भादू अभिभाषक वादी ।

2– पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ ।

–:– निर्णय –:– दिनांक :– 25–09–2020

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषक वादी एवं पैरोकार राज उपस्थित। उभय पक्षो को सुना गया । प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी के नाम से रोही पीपासर तहसील सूरतगढ के खसरा नं0 68 में 10–00बीघा तथा खसरा नं0 21 में 15–00बीघा कुल तादादी 25–00बीघा बारानी आरजी काश्त बाद का संवत 2019 सन् 1962 में आंवटन किया गया तथा इसके पश्चात रोही पीपासर तहसील सूरतगढ के खसरा नं0 68/15 में 25–00बीघा बारानी का आंवटन संवत 2023 सन् 1966 को किया गया इस प्रकार वादी को 50–00बीघा बारानी आंवटन का राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया । वादी को आवंटन रोही पीपासर तहसील सूरतगढ के खसरा नं0 68 एवं 68 मिन का परिवर्तन होकर खसरा नं0 68/14 में 10–00बीघा बारानी एवं खसरा नं0 68/19 में 25–00बीघा बारानी तथा खसरा नं0 21 का परिवर्तन होकर खसरा नं0 21/7 में 15–00बीघा कुल तादादी 50–00बीघा आरजी काश्त बाद राजस्व रिकार्ड दर्ज किया गया तथा इसके पश्चात खसरा नं0 68/19 में 25–00बीघा के स्थान पर 16–00बीघा का नवीनीकरण किया गया तथा वादी का कब्जा काश्त आंवटन से लेकर आज तक लगातार चला आ रहा है । वादी को आवंटन रोही पीपासर तहसील सूरतगढ के खसरा नं0 68 व 68 मिन एवं 21 में कुल 50–00बीघा बारानी जिसका खसरा परिवर्तन होकर खसरा नं0 68/14 , 68/19 तथा 21/7 होने के पश्चात वरवक्त खसरा के परिवर्तन का वर्तमान में खसरा नं0 68/27 , 68/28 व 307/21 एवं 308/21 बना दिया तथा वादी का कब्जा काश्त आंवटन के वक्त पटवारी हल्का द्वारा सम्भलाया गया तब से कब्जा काश्त वही पर चला आ रहा है तथा वादी द्वारा आंवटन रकबा को समय –2 पर आर्थिक खर्च कर ट्रेक्टर करावे की सहायता से ऊँचे–2 टिब्बो को समतल किया गया एवं लगभग 50 वर्षो से वादी द्वारा आंवटन शुदा रकबा में खाद उर्वरक आदि से रकबा को कृषि के उपयुक्त किया गया है इतने वर्षो के कठोर परिश्रम तथा आर्थिक खर्च की मदद से काश्त के लिए उपयुक्त कर वादी अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहा है। वादी को

–– 2 पर लगातार

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:41:05 IST
Reason: SelfAttested

आंवटन रोही पीपासर से पैमूद चक गोदारान तहसील सूरतगढ के खसरा नं0 68/27 मे 2.3400 हे0 बारानी आरजी काश्त बाद तथा रोही पीपासर के खसरा नं0 308/21 में 3.441 हे0 बारानी आरजी काश्त दर्ज कर शेष रकबा तहसील कमियों द्वारा सहवन / गलती से राजस्व रिकार्ड में खसरा नं0 68/28 में 16–15बीघा बारानी एवं खसरा नं0 307/21 में 1–08 बीघा कुल 18–03 बीघा वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन नही कर कानूनी भूल की है जिसके लिए वादी उक्त आंवटन शुदा रकबा का अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाने का कानूनन हकदार है वादी को आंवटन रोही पीपासर के खसरा नं0 68 व 68 मिन तथा 21 जो खसरा परिवर्तन पश्चात रोही पीपासर से पैमूद चक गोदारान वर्तमान में खसरा नं0 68/27 में 2.3400 हे0 बारानी , खसरा नं0 68/28 में 4.237 हे0 बारानी एवं रोही पीपासर के खसरा नं0 307/21 में 0.354 हे0 बारानी तथा खसरा नं0 308/21 में 3.441 हे0 बारानी कुल तादादी 10.372 हे0 बारानी भूमि आरजी काश्त होने तथा लगातार कब्जा काश्त होने के पश्चात भी वादी को बिना किसी सुचना/ नोटिस तथा वादी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही राजस्व रिकार्ड में तहसील कमियों द्वारा वादी के नाम का अंकन न कर कानूनी भूल की है तथा विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक सिद्धान्तो के खिलाफ है वादी को आंवटन आरजी काश्त बाद का रोही पीपासर तथा इसके अलावा हिन्दौर चक अमरपुरा की पत्थरगढी की कार्यवाही सन 1985 के पूर्व से चल रही थी जिसमें अन्तर होने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा बार बार उक्त कार्यवाही के लिए राजस्व विभाग एवं सिचांई विभाग के साथ पत्राचार किया गया और पत्थरगढी में आये अन्तर के कारण पुख्ता आंवटन 2003 तक भी पत्थरगढी की दुरूस्ती नही हो पायी इसके साथ शासन सचिवालय द्वारा उक्त पत्थरगढी की दुरूस्ती न होने तक किसी काश्तकार को रकबा से बेदखल न करने के आदेश दिये गये इसके पश्चात भी उक्त जैरवाद गावो के पत्थरगढी की दुरूस्ती किये बगैर ही राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कर मनमाने तरीके से काश्तकारो के नाम हटा दिये गये जो कानून की परिधि से परे है। वादी के नाम तो चक गोदारान के खसरा नं0 68/27 में 2.3400हे0 बारानी तथा रोही पीपासर खसरा नं0 308/21 में 3.441 हे0 बारानी दर्ज है तथा चक गोदारान के खसरा नं0 68/28 व रोही पीपासर के खसरा नं0 307/21 में आपके नाम कोई रकबा नही दर्ज है तथा उक्त खसरा आरजी राज दर्ज राजस्व रिकार्ड है । वादी अपने नाम आवंटन आरजी काश्त रोही पीपसर के खसरा नं0 307/21 में 0.354 हे0 एवं चक गोदारान के खसरा नं0 68/28 में 4.237 हे0 राजस्व रिकार्ड दर्ज किये जाने का निवेदन किया ।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी जरिये पेरोकार राज उपस्थित हुये। पेरोकार राज ने वाद–पत्र का जबाब दावा प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात वादी एवं प्रतिवादीगण के अभिभाषक की बहस सुनी गई। वादी द्वारा द्वारा वाद–पत्र के साथ धारा 80 (2) सी पी सी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रतिवादी पेरोकार राज द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही किये जाने के कारण धारा 80 (2) सी पी सी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। दावे एवं जबाब दावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम कि गई :–

1–आया कि वादी के नाम रोही मौजा पीपासर के खसरा नं0 68 मिन में 25–00बीघा एवं

––– 3 पर लगातार

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:41:05 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नं0 21 मीन में 15–00बीघा बारानी 1955 के बाद का आंवटन भुमि हैं ? –– वादी

2–आया कि वादी के नाम आंवटित रकबा रोही पीपासर के खसरा नं0 68 मीन में 25–00बीघा एवं खसरा नं0 21 में 15–00बीघा भुमि पर आंवटन से लेकर कब्जा काश्त चला आ रहा है?

––वादी

3–आया कि रोही पीपासर के खसरा नं0 परिवर्तन करते वक्त वादी को आंवटित खसरा नं0 68 मिन व 21 मिन में परिवर्तन होते हुए नई मिन बने ? ––वादी

4–आया कि रोही पीपासर से चक गोदारान तहसील सूरतगढ के खसरा नं0 68/28 में 4. 237 हे0 एवं खसरा नं0 307/21 में 0.354 हे0 वादी को आवटित एवं कब्जा काश्त भुमि का आराजी राज दर्ज किया गया ? –– वादी

5–आया कि वादी को आंवटित रकबा के खसरा नं0 परिवर्तन एवं संवत 2038 की पैमाईश लागू करते वक्त वादी न कोई सुचना तथा सुनवाई का अवसर दिये कार्यावाही की गई ?

–– वादी

6–आया कि चक गोदारान के खसरा नं0 68/28 में 4.237 हे0 एवं रोही पीपासर के खसरा नं0 307/21 में 0.354हे0 पर वादी का कब्जा नाजायज अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है ?

–– प्रतिवादी

7– अनुतोष

तनकीयात कायम करने के पश्चात पक्षकारान के साक्ष्य लिये गये । साक्ष्य वादी द्वारा शपथ–पत्र तथा पड़ोसी कास्तकारो के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये । जिसकी प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई । प्रतिवादी द्वारा कोई भी साक्ष्य नही करवाये गये ।

इसके पश्चात वादी एवं प्रतिवादीगण के अभिभाषक की बहस सुनी गई । जिसमें वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने वाद–पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी के नाम से रोही पीपासर तहसील सूरतगढ के खसरा नं0 68 में 10–00बीघा तथा खसरा नं0 21 में 15–00बीघा कुल तादादी 25–00बीघा बारानी आरजी काश्त बाद का संवत 2019 सन् 1962 में आंवटन किया गया तथा इसके पश्चात रोही पीपासर तहसील सूरतगढ के खसरा नं0 68/15 में 25–00बीघा बारानी का आंवटन संवत 2023 सन् 1966 को किया गया इस प्रकार वादी को 50–00बीघा बारानी आंवटन का राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया । वादी को आवंटन रोही पीपासर तहसील सूरतगढ के खसरा नं0 68 एवं 68 मिन का परिवर्तन होकर खसरा नं0 68/14 में 10–00बीघा बारानी एवं खसरा नं0 68/19 में 25–00बीघा बारानी तथा खसरा नं0 21 का परिवर्तन होकर खसरा नं0 21/7 में 15–00बीघा कुल तादादी 50–00बीघा आरजी काश्त बाद राजस्व रिकार्ड दर्ज किया गया जिस पर वादी का कब्जा कास्त आंवटन से लेकर आज तक बदस्तुर चला आ रहा है । वादी को आवंटन रोही पीपासर तहसील सूरतगढ के खसरा नं0 68 व 68 मिन एवं 21 में कुल 50–00बीघा बारानी जिसका खसरा परिवर्तन होकर खसरा नं0 68/14 , 68/19 तथा 21/7 होने के पश्चात वरवक्त खसरा के परिवर्तन का वर्तमान में खसरा नं0 68/27 , 68/28 व 307/21 एवं 308/21 बना दिया तथा वादी का कब्जा काश्त आंवटन के वक्त पटवारी हल्का द्वारा सम्भलाया गया तब से कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादी को आंवटन रोही पीपासर से पैमूद चक गोदारान तहसील सूरतगढ के

––4 पर लगातार

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:41:05 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नं0 68/27 मे 2.3400 हे0 बारानी आरजी काश्त बाद तथा रोही पीपासर के खसरा नं0 308/21 में 3.441 हे0 बारानी आरजी काश्त दर्ज कर शेष रकबा तहसील कमियों द्वारा सहवन / गलती से राजस्व रिकार्ड में खसरा नं0 68/28 में 16–15बीघा बारानी एवं खसरा नं0 307/21 में 1–08 बीघा कुल 18–03 बीघा वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन नही कर कानूनी भूल की है जिसके लिए वादी उक्त आंवटन शुदा रकबा का अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाने का कानूनन हकदार है वादी को आंवटन रोही पीपासर के खसरा नं0 68 व 68 मिन तथा 21 जो खसरा परिवर्तन पश्चात रोही पीपासर से पैमूद चक गोदारान वर्तमान में खसरा नं0 68/27 में 2.3400 हे0 बारानी , खसरा नं0 68/28 में 4.237 हे0 बारानी एवं रोही पीपासर के खसरा नं0 307/21 में 0.354 हे0 बारानी तथा खसरा नं0 308/21 में 3.441 हे0 बारानी कुल तादादी 10.372 हे0 बारानी भूमि आरजी काश्त होने तथा लगातार कब्जा काश्त होने के पश्चात भी वादी को बिना किसी सुचना/ नोटिस तथा वादी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही राजस्व रिकार्ड में तहसील कमियों द्वारा वादी के नाम का अंकन न कर कानूनी भूल की है इसके अलावा हिन्दौर , चक अमरपुरा की पत्थर गढी की कार्यवाही संवत 2038 की पैमाईश के अनुसार 24 वर्षो के बाद राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कर मनमाने एवं असवैधनिक तरीके से काश्तकारो को बिना सुचना बिना किसी सुनवाई का अवसर दिये बिना राजस्व रिकार्ड से नाम हटा दिये गये जो कानून की परिधि से परे है तथा प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत है जबकि वादी को आंवटन से लेकर आज तक लगभग 50 वर्षो से विधिवत तरीके से काश्त करते आ रहा है । वादी के नाम तो चक गोदारान के खसरा नं0 68/27 में 2.3400हे0 बारानी तथा रोही पीपासर खसरा नं0 308/21 में 3.441 हे0 बारानी दर्ज है तथा चक गोदारान के खसरा नं0 68/28 व रोही पीपासर के खसरा नं0 307/21 में आपके नाम कोई रकबा नही दर्ज है तथा उक्त खसरा आरजी राज दर्ज राजस्व रिकार्ड है । वादी अपने नाम आवंटन आरजी काश्त रोही पीपसर के खसरा नं0 307/21 में 0.354 हे0 एवं चक गोदारान के खसरा नं0 68/28 में 4.237 हे0 राजस्व रिकार्ड दर्ज किये जाने का निवेदन किया । तथा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रो का हवाला दिया गया एवं वादी ने न्यायायिक दृष्टान्तो को बताते हुये स्पष्ट किया जिसके मुताबिक सेटलमेन्ट विभाग को राजस्व रिकार्ड में फेरबदल करने का अधिकारी नही था । रूलिंग 2003 RBJ 290 - 2007 RRT 27 – 1993 RRT 45 - 2003 RBJ 118- 2001 RRD 60 - 2007 RRT 24 – 2006 RBJ 205- 2016 RRT 315 प्रस्तुत की गई ।

बहस सुनने के पश्चात पूर्ण पत्रावली का अवलोकन व मनन किया गया । दस्तावैजो व साक्ष्यो पर गौर किया गया विस्तुत विवेचन तनकी वाद निम्न प्रकार से है :–

तनकी नं0 1– आया कि वादी के नाम रोही मौजा पीपासर के खसरा नं0 68 मिन में 25–00बीघा एवं खसरा नं0 21मीन में 15–00बीधा बारानी 1955 के बाद का आंवटन भुमि हैं ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था वादी द्वारा वाद–पत्र के तथ्यों को सिद्ध करने के लिए खसरा गिरदावरी सम्वत 2016 ता 2019 व जमाबन्दी सम्वत 2020 से 2024 प्रस्तुत वाद–पत्र की गई । जिससे यह सिद्ध होता है कि वादी को रोही मौजा पीपासर के खसरा नं0 68 मिन में 26–00बीघा एवं खसरा नं0 21 मीन में 15–00बीधा बारानी 1955 के बाद का आंवटन किया गया । जिस पर वादी का लगातार कब्जा कास्त चला आ रहा है । तनकी नं0 1 बहक वादी निर्णित की जाती है ।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified ———5 पर लगातार

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:41:05 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नं0 2– आया कि वादी के नाम आंवटित रकबा रोही पीपासर के खसरा नं0 68 मीन में 26–00बीघा एवं खसरा नं0 21 में 15–00बीघा भुमि पर आंवटन से लेकर कब्जा काश्त चला आ रहा है?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था । वादी ने वाद–पत्र के साथ खसरा गिरदावरी सम्वत 2016 ता 2019, 2029 ता 2032, 2050 ता 2060 सलग्न की हुई है जिससे यह सिद्ध होता है कि वादी को 1955 के बाद का आंवटन रकबा लगातार राजस्व रिकार्ड चल रहा था । तनकी नं0 2 बहक वादी निर्णित कि जाती है ।

तनकी नं0 3– आया कि रोही पीपासर के खसरा नं0 परिवर्तन करते वक्त वादी को आंवटित खसरा नं0 68 मिन व 21 मिन में परिवर्तन होते हुए नई मिन बने ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था । वादी ने खसरा गिरदावरी व जमाबन्दी दस्तावैज वाद–पत्र में प्रस्तुत किये । जिसमें मूल खसरे से नये मीन पैमूद किये गये जिनमें वादी के नाम 1955 के बाद का रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड रहा है । तनकी नं0 3 बहक वादी निर्णित की जाती है ।

तनकी नं0 4– आया कि रोही पीपासर से चक गोदारान तहसील सूरतगढ के खसरा नं0 68/28 में 4.237 हे0 एवं खसरा नं0 307/21 में 0.354 हे0 वादी को आवटित एवं कब्जा काश्त भुमि का आराजी राज दर्ज किया गया ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था । वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी रोही पीपासर एवं चक गोदारान की प्रस्तुत की गई जिसमें वादी के नाम वर्तमान में रोही पीपासर के खसरा नं0 308/21 में 3.441 हे0 तथा चक गोदारान के खसरा नं0 68/27 में 2.340 हे0 रकबा आज भी राजस्व रिकार्ड दर्ज है । तथा मुताबिक रिकार्ड शेष रकबा 1955 बाद का बिना किसी आदेश के आरजी राज दर्ज किया गया है । जो विधि के विपरित है । तनकी नं0 4 बहक वादी निर्णित की जाती है ।

तनकी नं0 5– आया कि वादी को आंवटित रकबा के खसरा नं0 परिवर्तन एवं संवत 2038 की पैमाईश लागू करते वक्त वादी न कोई सुचना तथा सुनवाई का अवसर दिये कार्यवाही की गई?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी के नाम रोही मौजा पीपासर के खसरा नं0 68 मिन में 26–00बीघा एवं खसरा नं0 21 मीन में 15–00बीधा बारानी 1955 के बाद का आंवटन रकबा सम्वत 2038 की पैमाईस को लगभग 23 वर्षो के पश्चात राजस्व रिकार्ड लागू किया गया जिसमें वादी को किसी प्रकार का कोई भी नोटिस और सुचना दी गई ऐसा कोई भी दस्तावैज पत्रावली में प्रस्तुत नही है । तथा वादी के नाम आरजी कास्त बाद आंवटित रकबा को बंदोबस्त विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड में फेरबदल किया गया । जो वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टात से प्रतिपादित है कि 2003 RBJ 290 – Setllement department connot change the old entery in revenue record from khud kasht to siwaicjak and gocher land without the order of the competerd court .

2003 RBJ 118- Setllement Authorities have no power to deleta the original entries and make new entries. 2007 RRT 24 – 2006 RBJ 205- 2007 RRT 27 – 1993 RRT 45 -

--6 पर लगातार

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:41:05 IST
Reason: SelfAttested

मुताबिक न्यायायिक दृष्टान्तो के अनुसार – सेटलमेन्ट के दौरान भु–प्रबन्ध अधिकारी राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का कोई फेर बदल नही कर सकता ।

इससे यह सिद्ध होता है कि सेटलमेन्ट विभाग को राजस्व रिकार्ड में फेरबदल करने का कोई भी क्षैत्राधिकार नही है । तकनी नं0 5 बहक वादी निर्णित की जाती है ।

तनकी नं0 6– आया कि चक गोदारान के खसरा नं0 68/28 में 4.237 हे0 एवं रोही पीपासर के खसरा नं0 307/21 में 0.354 हे0 पर वादी का कब्जा नाजायज अतिकमी की हैसियत से काबिज है ?

तनकी नं0 6 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था । प्रतिवादी ने वादी के कब्जा कास्त रकबा राजस्व रिकार्ड में मुताबिक आरजी राज होने के कारण वादी को अतिकमी माना है । जबकि राजस्व रिकार्ड एवं साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त जैरवाद रकबा वादी को आंवटित रकबा का ही हिस्सा है। जो सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना किसी सुचना तथा बिना क्षैत्राधिकार के वादी को आवटित रकबा आरजी राज दर्ज किया गया है । जो न्याय के विपरित होने के कारण तनकी नं0 6 प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है ।

इस प्रकार तनकीयात बहक वादी निर्णित की जाती है । जिसके मुताबिक वादी को रोही पीपासर के खसरा नं0 68 मीन में 6.578 हे0 एवं खसरा नं0 21 मीन में 3.795 हे0 रकबा 1955 से बाद का आरजी कास्त आंवटन होना एवं रोही पीपासर से चक गोदारान पैमूद किया जाना सिद्ध होता है एवं वादी अभिभाषक द्वारा बताये गये परिपत्र माननीय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा दिनांक 28–10–1978 को जारी परिपत्र एवं राजस्थान सरकार कार्यालय आुयक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा दिनांक 29–11–1981 को जारी परिपत्र के अनुसार आरजी कास्त बाद आंवटन को कब्जा दिया गया और मूल खसरो के मीनो में भिन्नता का मिलान न होने पर बेदखल न कर संशोधन कर दिया जावे । तथा सेटलमेन्ट विभाग को राजस्व रिकार्ड में फेरबदल करने का क्षैत्राधिकार नही है । इसलिए उक्त वाद–पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है ।

अतः उक्त विवेचन अनुसार दावा वादी स्वीकार किया जाकर रोही पीपसर के खसरा नं0 307/21 में 0.354 हे0 एवं चक गोदारान के खसरा नं0 68/28 में 4.237 हे0 बारानी 1955 से बाद का आरजी कास्त आंवटन कृषक घोषित किया जाता है। तथा वादी के नाम जमाबन्दी के खाता सं0 1 में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो । खर्चा पक्षकार अपना –2 वहन करे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25/09/2020 को खुले न्यायालय में सनाया गया ।

सहायक कलक्टर एवं
(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (राज.)
(राजस्व) सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:41:05 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत –सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी , सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

बइजलास – श्री मनोज कुमार मीणा आर. ए. एस.

अनवान :

जगदीश पुत्र श्री तुलछीदास जाति स्वामी साकिन पीपासर तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

———— वादी

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

———— प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 207, 209 आर. टी. ए. मुकदमा नं0 262 वर्ष 2015 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी राजवीर भादू, एवं राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है ।

वाद वादी स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :–

रोही पीपसर के खसरा नं0 307/21 में 0.354 हे0 एवं चक गोदारान के खसरा नं0 68/28 में 4.237 हे0 बारानी 1955 से बाद का आरजी कास्त आंवटन कृषक घोषित किया जाता है। तथा वादी के नाम जमाबन्दी के खाता सं0 1 में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोज .....×.....मुबलिग .....×.....बाबत .....×.....खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ....×.....फसदो की पालना.....×.....आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25/09/2020 को जारी की गई ।

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
एवं सूरतगढ (राज.)
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:41:05 IST
Reason: SelfAttested